प्रेषक,

निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः /सा0–2/विविध/2018–19 दिनॉक 19-06-2018

विषयः जनहित गारण्टी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत प्रदेश में गोशालाओं के आनलाइन पंजीयन कराये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत प्रदेश में गोशालाओं के पंजीकरण को आनलाइन करते हुए विभाग द्वारा प्रादेशिक गोशाला पंजीकरण प्रणाली विकसित की गयी है जिसके द्वारा भविष्य में गोशालाओं का पंजीकरण केवल उक्त प्रणाली के द्वारा आनलाइन ही किया जायेगा। उक्त प्रणाली में समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों को एस.एम.एस.प्रणाली से भी जोडा गया है, जिससे उक्त प्रणाली अन्तर्गत एस.एम.एस.आपके सीयूजी.नम्बर पर भेजे जायेगे जिस हेतु आपके सीयूज़ी.नम्बर क्रियाशील होना अति आवश्यक है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपको प्रदत्त सीयूज़ी.नम्बर को क्रियाशील रखना सूनिश्चित करे, जिसके सीयूज़ी.नम्बर क्रियाशील नही है उन्हें तत्काल क्रियाशील कराना सुनिश्चित करे। तथा कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत करायें।

भवदीय,

(डा0 चरण सिंह यादव)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास

संख्याः 4107 /सा0–2/विविध/2018–19 दिनॉक 2018

प्रतिलिपिः समस्त अपर निदेशक(ग्रेड–2) पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्त समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारियों के सीयूज़ी- नम्बरों को क्रियाशील कराना सुनिश्चित करें।

2–श्री नवीन कुमार गुप्ता,कम्प्यूटर सुपरवाईजर को इस निर्देश के साथ कि समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,उ0प्र0 को ई–मेल के माध्यम से सूचना प्रेषित करें।

(डा0 चरण सिंह यादव)
निदेशक,
प्रशासन एवं विकास

23-9-11-896